संख्या:46/2026/533/35-4-2026/35-4002(003)/32/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-347/त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 17.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गाजीपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 2492.05 लाख (रुपये चौबीस करोड़ बानबे लाख पाँच हजार मात्र जी०एस०टी० सहित)** की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 624.00 लाख (रूपये छः करोड़ चौबीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ब्लाक देवकली में ग्राम आराजी कुकुड़ा में पिच रोड से काली माता मन्दिर होते हुए कुबेरबिन्द के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	0.69	24.07	6.00	ग्रा.अ.वि.
2	ब्लाकसदर में ग्राम सभा सकरा में रेशम फार्म पिच रोड से छेदी का पुरा होते हुए डीहबाबा स्थान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.88	55.75	14.00	ग्रा.अ.वि.
3	ब्लाक करण्डा में ग्राम सभा बनगॉवा में सिसौड़ा मार्ग से बनगॉवा मदनहीं सम्पर्क मार्गतक पिच निर्माण कार्य।	0.82	36.94	9.00	ग्रा.अ.वि.
4	ब्लाक करण्डा में ग्राम आनापुर सरयां से लखनचनपुर गॉव तक पिच निर्माण कार्य।	0.8	27.64	7.00	ग्रा.अ.वि.
5	ब्लाकदेवकली में लक्ष्मनपुर श्री बिन्द के दुकान से जमीन मुड़रभा में हरिश्चन्द्र केघर होते हुए जवाहिर बिन्द के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.7	38.26	10.00	ग्रा.अ.वि.
6	ब्लाक करण्डा के ग्राम परमेठ स्व. सग्राम बिन्द के घर से ग्राम मदनहीं जर्नादन सिंह केघर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	1.2	41.33	10.00	ग्रा.अ.वि.
7	ब्लाक करण्डा में ग्राम मदनहीं दुर्गा माता मन्दिर से टोडरपुर तक पिच निर्माणकार्य।	0.92	31.49	8.00	ग्रा.अ.वि.
8	ब्लाककरण्डा में ग्राम सभा सहेड़ी में नहर माइनर से रामसिंह के पुरा तक पिच निर्माणकार्य।	0.7	24.42	6.00	ग्रा.अ.वि.
9	ब्लाकमनिहारी में ग्राम सौरी बलिराम प्रधान के पुरवा में राजनाथ यादव के घर से खड़ारी नदी तक नाला निर्माण कार्य।	1	97.34	24.00	ग्रा.अ.वि.
10	ब्लाककरण्डा में ग्राम रेसवा में रामकृपाल बिन्द के घर से श्रवण बिन्द के घर तक पिचनिर्माण कार्य।	0.85	30.2	8.00	ग्रा.अ.वि.
11	ब्लाकमनिहारी में ग्राम कटघरा में मौधिया नहर लिंक रोड से खुटवा कटघरा लिंक रोड तकपिच निर्माण कार्य।	0.84	38.27	10.00	ग्रा.अ.वि.
12	ब्लाकसदर में ग्राम सभा छावनी लाइन ग्राम कलौता में विजेन्द्र	0.82	49.93	12.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	के डेरा से तेजप्रकाशकुशवाहा के दुकान से होते हुए शारदा ईंट उद्योग तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।				
13	कमसड़ी नित्यानन्द पाण्डेय के खेत से अम्बेडकर पार्क होते हुए कमसड़ी पश्चिम बस्ती तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	1	53.77	13.00	ग्रा.अ.वि.
14	भाटसराय में कमलेश शर्मा के ट्यूबवेल से हरिजन बस्ती तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंगकार्य।	1.2	66.38	17.00	ग्रा.अ.वि.
15	उतरॉवमें अम्बेडकर रोड से दिनेश चौथाई बस्ती होते हुए केशव के घर तक रबर मोल्डइण्टरलॉकिंग कार्य।	0.5	35.52	9.00	ग्रा.अ.वि.
16	कमसड़ीमें प्रदीप राय के भट्ठा से चनकेश्वर बाबा के स्थान तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंगकार्य।	0.5	27.74	7.00	ग्रा.अ.वि.
17	नसीराबादमें टोडरपुर सम्पर्क मार्ग से नसीराबाद राजभर बस्ती तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंगकार्य।	0.5	25.18	6.00	ग्रा.अ.वि.
18	सहबाजपुर (सोनबरसा) में मुन्ना गोड़ के घर से मरदह मुख्य मार्ग तक लेपन कार्य।	0.735	26.56	7.00	ग्रा.अ.वि.
19	जलालपुरमें रामब्रत के घर (सी.सी. रोड) से रामकृत के खेत व पारस के घर होते हुए रमेश केघर तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.68	46.56	12.00	ग्रा.अ.वि.
20	जगदीशपुरनदुला पिच रोड राजेन्द्र के घर से गर्जन का ट्यूबवेल होते हुए रघुनाथ राजभर केखेत तक लेपन कार्य।	0.575	29.73	7.00	ग्रा.अ.वि.
21	बहराईचमें राकेश सिंह के खेत से मंगला चौहान के खेत तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.85	44.44	11.00	ग्रा.अ.वि.
22	लोहवा भागीपुर में सोनू के घर से अखिलानन्द के घर होते हुए हीरा के घर तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.7	39.01	10.00	ग्रा.अ.वि.
23	तेजाराजभर के घर से हीरा राजभर के घर होते हुए सुरेश राम के घर पिच रोड तक रबर मोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.575	31.91	8.00	ग्रा.अ.वि.
24	दुरखुशीरायपट्टी मेन पिच रोड से राजभर बस्ती होते हुए हृदय नरायन पाण्डेय के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.62	42.57	11.00	ग्रा.अ.वि.
25	हैदरगंजचौहान बस्ती पिच रोड से हैदरगंज राजभर बस्ती तक लेपन कार्य।	0.765	29.2	7.00	ग्रा.अ.वि.
26	विकासखण्ड सादात के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में सी.सी. रोड से मुन्ना राजभर के घर तकइण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.5	26.87	7.00	ग्रा.अ.वि.
27	विकासखण्ड सदर के मुहल्ला अवधनगर कालेनी में आई.टी.आई. स्कूल बाउण्ड्री के पिछे संजयगुप्ता के मकान से कमला सिंह,जयशंकर सिंह के घर से पूरब नाला तक इण्टरलॉकिंगसड़क निर्माण कार्य।	0.51	45.21	11.00	ग्रा.अ.वि.
28	विकासखण्ड बिरनों के ग्राम पंचायत भैरोपुर से प्रदीप राम के घर होते हुए राजभर बस्तीबल्लीपुर नहर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.825	44.64	11.00	ग्रा.अ.वि.
29	विकासखण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत खड़वाडीह में टूनटून सिंह के चक से बाला मोड तक पिचरोड का निर्माण कार्य।	0.5	18.2	5.00	ग्रा.अ.वि.
30	विकासखण्ड सैदपुर के ग्राम पंचायत टड़वा में पिच रोड से अर्जुन राजभर के मशीन तकइण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.6	27.06	7.00	ग्रा.अ.वि.
31	विकासखण्ड करण्डा के ग्राम पंचायत मैनपुर में गाजीपुर-चोचकपुर मार्ग से विवेकानन्दविद्यालय के पिछे होते हुए रज्जोपुर भवानी मॉ के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग रोड कानिर्माण कार्य।	0.8	45.4	11.00	ग्रा.अ.वि.
32	विकासखण्ड जमानियॉ के ग्राम पंचायत नरायनपुर में नई बाजार देवैथा रोड से नारायनपुरमिडिल स्कूल तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	0.815	45.44	11.00	ग्रा.अ.वि.
33	विकासखण्ड सदर के ग्राम पंचायत फुल्लनपुर में गायत्री मन्दिर	0.55	43.86	11.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	से पिंटू सिंह के घरहोते हुए सम्पर्क मार्गो तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।				
34	विकासखण्ड मरदह के ग्राम पंचायत अविसहन में रीना भारती के घर से राजू राम के घर होतेहुए मुन्ना सिंह के खेत तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.86	56.73	14.00	ग्रा.अ.वि.
35	विकासखण्ड जमानियॉ के ग्राम पंचायत टोकवा में विजय नरायण उपाध्याय के मकान सेडिल्लाचवर स्कूल तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1.585	80.2	20.00	ग्रा.अ.वि.
36	विकासखण्ड करण्डा के ग्राम पंचायत लखनचन्द्रपुर में मुख्य मार्ग से हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	0.9	39.07	10.00	ग्रा.अ.वि.
37	विकासखण्ड देवकली के ग्राम सभा बरहपुर मड़ई पर सम्पर्क मार्ग से सुभाष प्रजापति के घरसे साधु जी के कुटिया तक पिच रोड निर्माण कार्य।	0.52	23.48	6.00	ग्रा.अ.वि.
38	विकासखण्ड-देवकली के ग्राम सभा मुडरभा में गोडा कला माईनर से जमीन मुड़रभा रामसूरतबिन्द के खेत तक पिच कार्य।	0.552	27	7.00	ग्रा.अ.वि.
39	विकासखण्ड-करण्डा के ग्राम सभा बयेपुर में नहर से पवन यादव के घर तक पिच कार्य।	0.8	25.66	6.00	ग्रा.अ.वि.
40	विकासखण्ड-मनिहारी के ग्राम सभा अन्दोखर बस्ती पश्चिम चौराहा से मस्जिद सोहराब केमकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	0.54	29.61	7.00	ग्रा.अ.वि.
41	टी.बी.रोड करहियां से हुलाशब्रम्ह बार करहिया तक पिच रोड सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.85	48.22	12.00	ग्रा.अ.वि.
42	नरसिंहपुरदरौली मार्ग से अभिमनपुर नहर की पुलिया तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1	56.4	14.00	ग्रा.अ.वि.
43	विकासखण्ड-मरदह,पी.एम.जी.एस.वाई. रोड बिजौरा बैजनाथ राजभर के घर से भीखमपुर अवतियारामबचन यादव के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	0.505	19.3	5.00	ग्रा.अ.वि.
44	विकासखण्ड-बिरनों,ग्राम सभा गहली बसारिकपुर में सूर्यनाथ सिंह के खेत से यादव बस्तीडीह बाबा के स्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.502	24.59	6.00	ग्रा.अ.वि.
45	विकासखण्ड-मरदह,एन.एच.-24 हाइवे रोड भारत पेट्रोल पम्प से बढिया दाई दिनेश के घर तकइण्टरलॉकिंग कार्य।	0.505	26.09	7.00	ग्रा.अ.वि.
46	विकासखण्ड-मरदह ग्राम सभा अरखपुर पौहारी बाबा के स्थान यादव बस्ती रामाशंकर के घर तकशून्य से लेपन कार्य।	0.995	37.94	9.00	ग्रा.अ.वि.
47	नगरपालिका परिषद मुहम्मदाबाद वार्ड नम्बर-12/3 में मंगलदीप के दुकान से गुलेबागबस्ती होते हुए काशी बस वाले के घर तक पुर्ननिर्माण डामर रोड का कार्य।	0.6	15.75	4.00	ग्रा.अ.वि.
48	विकासखण्ड-मुहम्मदाबाद के पंचायत शहबाज कुली कोठिया विशुनपुरा पी.एम.जी.एस.वाई. रोडसे डाढीडीह नसीरपुर कुसुम जाने वाले रास्ते का पुर्ननिर्माण डामर रोड काकार्य।	0.6	13.48	3.00	ग्रा.अ.वि.
49	विकासखण्ड-मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा मुर्की बुजुर्ग में पोखरा कर्बला बीच रोड सेप्राइमरी स्कूल के आगे जामून प्रधान के खेत तक पुर्ननिर्माण डामर रोड काकार्य।	0.5	22.15	6.00	ग्रा.अ.वि.
50	विकासखण्ड-भॉवरकोल के ग्राम सभा लोहारपुर में विजय यादव के घर से जोगीवीर मन्दिर (श्मशान घाट) जाने वाले रास्ते तक नवनिर्माण डामर रोड का कार्य।	0.7	23.86	6.00	ग्रा.अ.वि.
51	विकासखण्ड-कासिमाबाद के ग्राम सभा बासुदेवपुर पोखरी पर विजय राजभर के घर से मोहनपुरापिच रोड तक नवनिर्माण डामर रोड का कार्य।	0.6	30.99	8.00	ग्रा.अ.वि.
52	रायपुरमें पिच रोड से ब्रेनवंशी बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.55	27.65	7.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

53	बिजहरीपिच रोड से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.58	31.25	8.00	ग्रा.अ.वि.
54	मौंधियामुख्य मार्ग से राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.51	30.33	8.00	ग्रा.अ.वि.
55	भुडकुड़ामें पिच रोड से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.562	26.84	7.00	ग्रा.अ.वि.
56	पलिवारमें पिच रोड से राजभर बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.5	28.23	7.00	ग्रा.अ.वि.
57	जौहरपुरमें रामलक्ष्मण राम के घर से शिव मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.643	31.99	8.00	ग्रा.अ.वि.
58	डहरमौवाकौड़ा में पिच रोड से शिवचरन राजभर के घर होते हुए राजभर बस्ती तक इण्टरलॉकिंग वढक्कन व नाली कार्य।	0.55	32.65	8.00	ग्रा.अ.वि.
59	डढवलपिचरोड से अनु.बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.6	30.15	8.00	ग्रा.अ.वि.
60	मीरपुरमें पिच रोड से अनु. बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.684	32.61	8.00	ग्रा.अ.वि.
61	भगीरथपुरमें पिचरोड से राजभर बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.557	29.21	7.00	ग्रा.अ.वि.
62	हथियाराममें पिचरोड से राजभर बस्ती तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.525	20.55	5.00	ग्रा.अ.वि.
63	गौराखास में विनोद के घर से नाला तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य।	0.265	25.49	6.00	ग्रा.अ.वि.
64	बारोडीहमें पिचरोड से अनुसूचित बस्ती मार्ग का नवनिर्माण लेपन कार्य।	0.51	18.04	5.00	ग्रा.अ.वि.
65	गदाईपुरमें पिच रोड से राजभर बस्ती एवं अनु. बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण लेपन कार्य।	1	50.53	13.00	ग्रा.अ.वि.
66	कमरदेपुरमें पिच रोड से राजभर बस्ती तक मार्ग का निर्माण कार्य व लेपन कार्य।	0.87	31.08	8.00	ग्रा.अ.वि.
67	नियॉवमें शहीद गेट से अनु. बस्ती एवं राजभर बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण लेपनकार्य।	0.75	27.7	7.00	ग्रा.अ.वि.
68	ग्रामरामपुर पतारी में एन.एच.मार्ग से रतनपुरा भडवॉ राजभर बस्ती तक मार्ग कानवनिर्माण लेपन कार्य।	0.6	21.22	5.00	ग्रा.अ.वि.
69	विकासखण्ड-देवकली ग्राम सभा पहलाटोला (धुवार्जुन) सुभाष राम के घर से खरारी तक नवनिर्माण पिच रोड।	1.15	48.72	12.00	ग्रा.अ.वि.
70	विकासखण्ड-सैदपुर ग्राम सभा विझवल में पतरही नेवादा पिच रोड से नारे पार तक नवनिर्माण पिच रोड।	0.51	24.38	6.00	ग्रा.अ.वि.
71	ब्लाकसैदपुर औड़िहार बिहारीगंज पिच रोड के पास गजाधरपुर हनुमान मन्दिर से मौजा उसरहांधरमू यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.53	32.02	8.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:	**50.08**	**2492.05**	**624.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय रू. **624.00** लाख (रूपये छः करोड़ चौबीस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये** एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:46/2026/533(1)/35-4-2025/35-4002(003)/32/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजीपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।